

अल्पकालीन सूचना

जिला परियोजना पदाधिकारी-सह-अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर बिहार महादलित विकास मिशन बिहार पटना के मार्गदर्शिका (पंचम चरण के अनुरूप) रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत रोसड़ा प्रखण्ड के भड़वारी पंचायत के विकास मित्र के संभावित रिक्त पद के विरुद्ध नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाना है। आवेदन पत्र का प्रपत्र बिहार महादलित विकास मिशन के वेबसाईट www.mahadalitmission.org पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में संबंधित प्रखण्ड कार्यालय (रोसड़ा) में प्रत्येक निम्न कार्यदिवस को जमा किया जाना है:-

क्र०सं०	गतिविधि	अवधि
01	संबंधित प्रखण्ड में आवेदन प्राप्त करने की तिथि	01.02.2025 से 15.02.2025
02	प्रखण्ड स्तर पर मेधा सूची में प्रकाशन की तिथि	18.02.2025
03	अनुमंडल स्तर पर आपत्ति एवं निराकरण प्राप्त करने की तिथि	20.02.2025 से 25.02.2025
04	चयन सूची का प्रकाशन	03.03.2025
05	नियोजन पत्र का वितरण/शपथ ग्रहण उन्मुखीकरण की तिथि	06.03.2025

रिक्तियों की विवरणी:-

क्र०सं०	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	रिक्तियों की संख्या	महादलित जाति बहुल्यता	आरक्षण कोटि
1	रोसड़ा	भड़वारी	1	मुसहर	सामान्य

चयन हेतु अहर्ता:-

1. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन मेधा तथा समान अंक रहने पर ज्यादा उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। मैट्रिक या समकक्ष अभ्यर्थी नहीं मिलने पर नन-मैट्रिक, नौवीं पास, आठवीं पास, सातवीं पास, छठी पास, पाँचवीं पास का नियोजन किया जा सकेगा। महिलाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं रहने पर साक्षर होने की स्थिति में भी चयन किया जा सकेगा।
2. महादलित आवेदक की उम्र दिनांक 01.01.2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए।
3. प्रत्येक पंचायत एवं वार्ड में महादलित जाति की बहुल्यता पहले निर्धारित है। जो पंचायत/नगर पंचायत (वार्ड समूह) जिस जाति के लिए आरक्षित है, उसी जाति कोटि के आवेदक (महिला/पुरुष) द्वारा विकास मित्र के संभावित रिक्त पद पर चयन हेतु आवेदन किया जाएगा।
4. आवेदक महादलित परिवार से होगा। पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) में जिस महादलित जाति की बहुल्यता होगी उसी जाति के अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।
5. जिस पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) से विकास मित्र का चयन किया जाना है, वहीं के निवासी से आवेदन प्राप्त किया जाएगा एवं चयन किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया:-

1. अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा विकास मित्रों का अनुबंध के आधार पर चयन किया जाएगा।
2. आवेदन विहित प्रपत्र में प्रखण्ड कार्यालय रोसड़ा में जमा लिया जाएगा।
3. आवेदन के साथ आवश्यक कागजात:-

i शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र (अंक पत्र, विद्यालय परित्याग पत्र, प्रमाण पत्र) की छायाप्रति (राजपत्रित पदाधिकारी या किसी सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित होना चाहिए)

ii जाति प्रमाण पत्र।

iii निवास प्रमाण पत्र आदि।


अनुमंडल पदाधिकारी
रोसड़ा।